

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 1(131)परि/स्था/2014

जयपुर, दिनांक:

संशोधित आदेश

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 32522 दिनांक 21.12.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान सिविल सेवा सर्विसेज (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत श्री देवीलाल सहरिया, परिवहन निरीक्षक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके सम्मुख दर्शाये कालम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कालम संख्या 6 में अंकित तिथि से (मध्यान्ह पश्चात्) सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देवीलाल सहरिया	परिवहन निरीक्षक	जि.प.का. बारां	12.05.1956	31.05.2016

(^{Sd.}डॉ. मनीषा अरोड़ा)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक: एफ 1(131)परि/स्था/2014 / 10866-76

जयपुर, दिनांक: 03/6/2016

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. अपर परिवहन आयुक्त, जोन-।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका से जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि की पुष्टि कर लें। यदि त्रुटि हो तो मुख्यालय को अवगत करावें ताकि संशोधित आदेश निकाला जा सके।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री।
9. पेंशन शाखा/जांच शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
10. निजी पत्रावली श्री।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)